

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0381

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 02/03/13 से 24/03/13 तक

02/03/13

जिला - पटना

अनुमंडल- पटना सिटी

केश का प्रकार-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

12 / 2013-2014

हल्का सं० 03

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई वारे में टिप्पणी तारीख सँ												
<u>02/03/13</u>	<p>श्री/श्री मती <u>राजेश कुमार</u> पिता/पति श्री/श्री मती <u>सु० हरिश्चंद्र प्रसाद</u> ग्राम <u>सिपहपुर</u> पो० <u>सी० पी० २००</u> थाना <u>पुष्करपुर</u> जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>2802</u> दिनांक <u>30.03.12</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">थाना सं०</th> <th style="text-align: left;">खाता सं०</th> <th style="text-align: left;">खेसरा</th> <th style="text-align: left;">रकबा(ए.-डि में)</th> <th style="text-align: left;">लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>एफिआ</u></td> <td><u>72</u></td> <td><u>136</u></td> <td><u>528</u></td> <td><u>04 ईहा</u> <u>08घर</u></td> <td><u>100</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>12/03/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित अंचलधिकारी फतुहां।</p> <p style="text-align: right;">अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान	<u>एफिआ</u>	<u>72</u>	<u>136</u>	<u>528</u>	<u>04 ईहा</u> <u>08घर</u>	<u>100</u>	
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान									
<u>एफिआ</u>	<u>72</u>	<u>136</u>	<u>528</u>	<u>04 ईहा</u> <u>08घर</u>	<u>100</u>									
<u>02/03/13</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।</p> <p><u>05/03/13</u> हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विक्रेता / प्रवर्कर्ता / पूर्व विक्रेता / दानकर्ता <u>कुलशीकर प्रसाद वल्लभ केदारनाथ प्रसाद</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,मू-दान,मू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं मंडाल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>16/04/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित अंचलधिकारी फतुहां।</p> <p style="text-align: right;">अंचलधिकारी फतुहां।</p>													

१.१.०.

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०.....०३..... दाखिल खारीज बाद सं०.....१२...../2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित

16/04/13
अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विकेता/प्रावस्ता/पूर्व विकेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है वूँकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित कायां है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।